बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

ज्ञापांक :–2/नि०–04/16 498(2) /स्वा०, बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (मनोचिकित्सक) (मूल कोटि) के पद पर विज्ञापन संख्या–05/2014 के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित निम्नांकित विशेषज्ञ चिकित्सक (मनोचिकित्सक) (मूल कोटि) के पद पर रू०–9300–34800/– (पी०बी०–2) एवं ग्रेड पे०–5400/– के वेतनमान में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ प्रभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख संस्थान में पदस्थापित किया जाता है :–

क्रं० सं०	अनु क्रमांक	नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता	गृह जिला	कोटि	पदस्थापित स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	507	डा० राज किशोर प्रसाद	05.05.1973	डा० राज किशोर प्रसाद द्वारा–नागेन्द्र प्रसाद, चर्च के सामने मिशन महादेवा, सिवान–841226	सिवान	सामान्य (BC)	सीनियर रेजिडेन्ट, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
2	516	डा० राकेश कुमार	14.08.1978	डा० राकेश कुमार, पिता–श्री विकाउ सिंह, ग्राम–चकवा, पोस्ट–बथनाहॉ, जिला–सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	सामान्य	सहायक प्राध्यापक दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, दरभंगा
3	521	डा० शैलेश झा	25.12.1983	डा० शैलेश झा, द्वारा–महानंद झा, ग्राम–सीमारी (नवटोल), पोस्ट–राजनगर, मधुबनी–847235	मधुबनी	सामान्य	सीनियर रेजिडेन्ट, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर
4	515	डा० विपिन कुमार	10.02.1980	डा० विपिन कुमार, पिता–श्री शंभु सिंह, रोड न0–8/ए, अशोक नगर, कंकड़बाग, पटना–800020	पटना	सामान्य	सीनियर रेजिडेन्ट, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
5	533	डा० पंकज कुमार	22.12.1977	डा० पंकज कुमार, ग्राम–खिद्दी, पोस्ट+थाना–रजौन, बांका–813107	बांका	सामान्य (BC)	सीनियर रेजिडेन्ट, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर

6	525	डा० सच्चिदानंद सिंह	01.03.1980	डा० सच्चिदानंद सिंह, पिता–राजेन्द्र सिंह, कृष्णा लाईनपर पंप के समीप, मिजोपुर, पोस्ट+थाना–नवादा, नवादा–805110	नवादा	सामान्य (EBC)	सीनियर रेजिडेन्ट, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
7	519	डा० प्रशान्त कुमार मिश्रा	08.12.1980	डा० प्रशान्त कुमार मिश्रा, द्वारा–ब्रजकिशार मिश्र, ग्राम –कुईसा खुर्द,पोस्ट–महुववाँ, पंचदवरी, गोपालगंज	गोपालगंज	सामान्य	सीनियर रेजिडेन्ट, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर
8	528	डा० अमित कुमार सिंह	28.02.1983	डा० अमित कुमार सिंह, ग्राम+पोस्ट–सेवनन, थाना–जहानाबाद–804454	जहानाबाद	सामान्य	मानसिक आरोग्यशाला (BIMHAS), कोईलवर, भोजपुर
9	517	डा० सत्यजीत कुमार सिंह	10.05.1977	डा० सत्यजीत कुमार सिंह, चन्द्रिकायन, बाबा चौक, केशरी नगर, पटना 800024	पटना	सामान्य	सीनियर रेजिडेन्ट, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया
10	508	डा० अर्चना सिंह	09.11.1980	डा० अर्चना सिंह, 26 एफ शिव शंभू नगर, आशियाना नगर रोड, खांजपुरा, पटना 800014	पटना	सामान्य	मानसिक आरोग्यशाला (BIMHAS), कोईलवर, भोजपुर
11	506	डा० शंभू प्रसाद	21.09.1978	डा० शंभू प्रसाद, सिंघासन प्रसाद, नंद इलेक्ट्रीक, शंकर स्थान, रामगडवाँ बजार, पूर्वी चम्पारण–845433	पूर्वी चम्पारण	BC	सीनियर रेजिडेन्ट, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा
12	512	डा० आलोक प्रताप	04.09.1978	डा० आलोक प्रताप, ग्राम–मंदौरा, पोस्ट–सांगी, भाया–ग्राहनी, थाना–ग्राहनी, भोजपुर–802203	भोजपुर	BC	सीनियर रेजिडेन्ट, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया

2. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि यदि उनके पूर्व वृत्त एवं चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण–पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायेगी तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

498(2)
12/5/16

3. दो वर्षो के बाद नियमानुसार चिकित्सकों की सेवा सम्पुष्ट की जाएगी। इस अवधि में आकस्मिक अवकाश छोड़कर अन्य अवकाश विभाग द्वारा ही स्वीकृत किया जायगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार उक्त चिकित्सकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–7834(2) दिनांक 22.11.1995 के अनुसार नियुक्त चिकित्सक नियुक्ति (प्रभार ग्रहण की तिथि से) की तिथि से दस वर्षो की सेवा पूरी होने तक अथवा पैतालीस वर्षो की आयु प्राप्त करने तक कम से कम चार वर्षो के लिए (प्रशिक्षण अवधि सहित) प्रतिरक्षा सेवा में अथवा भारत वर्ष की सुरक्षा से संबंधित सेवाओं के लिए उतरदायी होगें।

6. नियुक्त चिकित्सक अपने नाम के सामने आवंटित संस्थान में अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर योगदान करेंगे।

7. लिपिकीय भूल अथवा गलत प्रमाण–पत्र (जाति एवं अन्य प्रमाण–पत्र) के आधार पर यदि कोई नियुक्ति होती है तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी तथा सरकार को उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

8. सभी नियुक्त चिकित्सक राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन करेंगे और सभी आहूत प्रशिक्षणों में निश्चित रूप से भाग लेगें।

9. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों में से यदि कोई बिहार राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित टेन्योर अवधि के लिए संविदा पर कार्यरत हैं तो उन्हें उसी संस्थान में नियुक्त करते हुए टेन्योर अवधि तक के लिए पदस्थापित किया गया है। टेन्योर अवधि समाप्ति के उपरान्त वे स्वास्थ्य विभाग में योगदान देगें।

10. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों में से कतिपय चिकित्सकों को विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में सीनियर रेजिडेन्ट के पद पर तीन वर्षो के लिए पदस्थापित किया गया है। टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरान्त वे स्वास्थ्य विभाग में योगदान देगें।

11. सभी नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सक अपने वेतन भुगतान हेतु वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को प्रभार प्रतिवेदन की प्रति भेजेंगे।

12. यदि कोई चिकित्सक उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहें है तो वे पदस्थापित संस्थान में योगदान देगें और उसी दिन अध्ययन हेतु विरमित हो जायेगें। अध्ययन अवधि समाप्ति के उपरान्त वे पदस्थापित स्थान पर पुनः अपना योगदान देगें।

13. उपरोक्त सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों के सरकारी सेवा (परिवार नियोजन से संबंधित विशेष उपबंध) नियमावली–1977 की कंडिका–2 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन संतान संबंधी विवरण (विवाहित होने की स्थिति में) विहित प्रपत्र में समर्पित करेंगे एवं सम्पति का व्यौरा भी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जा सकता है। साथ ही उन्हें यह भी निदेश दिया जा सकता है कि वे सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–2785 दिनांक 27.12.2005 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

14. जिन चिकित्सकों द्वारा जाँच के समय विभागीय अधिकृत समिति के समक्ष आवासीय प्रमाण–पत्र एवं कोई अन्य प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं किया गया हों, उन्हें निदेश दिया जाता है कि नियुक्ति पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर वांछित प्रमाण–पत्र अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को समर्पित कर देंगे।

498(2)
12/5/16

15. उक्त चिकित्सकों पर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 लागू रहेगा जिसके तह वे प्राईवेट व्यापार या नियोजन नहीं करेंगे एवं गैर व्यावसायिक भत्ता की माँग नहीं करेंगे।

16. नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी आवंटित संस्थान में नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु सभी मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा वि पदस्थापन के पूर्व वे नियुक्त चिकित्सकों के सभी प्रमाण–पत्रों की गहराई से जाँच कर लेंगे और सभी प्रमाण–पत्रों की छाया प्रति रख लेंगे। चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों में यदि कोई संदेह हो तो उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को तुरन्त दिया जायेगा।

17. आवंटित संस्थान में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

18. सभी नियुक्त चिकित्सक अपना योगदान एवं प्रभार ग्रहण की सूचना अपने नियंत्री पदाधिकारी यथा संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक/सिविल सर्जन/निदेशक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

ह०/–
(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–2/नि०–04/16 498(2) पटना, दिनांक :– 12/5/16

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (लेखा एवं हक), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्राचार्य/सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सभी निदेशक/सभी सिविल सर्जन/सभी उपाधीक्षक/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आशुलिपिक/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

यह अधिसूचना विभागीय वेबसाईट–www.health.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/5/16
सरकार के संयुक्त सचिव।